

**M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAMINATION -2017**

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 5  
Total No. of Questions : 5

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 6  
No. of Printed Pages : 6

**ARTICLE & SUMMARY WRITING**  
**लेखन एवं संक्षेपण**

**Second Question Paper**  
**द्वितीय प्रश्न-पत्र**

समय – 3:00 घण्टे  
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100  
Maximum Marks - 100

निर्देश :-

**Instructions :-**

1. All questions are compulsory. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.  
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.  
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।
3. Candidate shall start answering of next question from the next page. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done. अभ्यर्थी अगले प्रश्न का उत्तर अगले पृष्ठ से देना प्रारंभ करें। सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

- | Q.No.<br>/ प्र.क्र. | Question / प्रश्न  | Marks<br>/ अंक |
|---------------------|--|----------------|
| 1.                  | <p>Write an article in Hindi or English, on any one of the following <b>social</b> topics:</p> <p>निम्नलिखित <b>सामाजिक</b> विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए:</p> <p>(i) Demonetization.<br/>नोटबंदी ।</p> <p>(ii) Child Labour.<br/>बालश्रम ।</p>  | 30             |
| 2.                  | <p>Write an article in Hindi or English, on any one of the following <b>legal</b> topics:</p> <p>निम्नलिखित <b>विधिक</b> विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :</p> <p>(i) Right to Privacy.<br/>निजता का अधिकार ।</p> <p>(ii) Medical Negligence<br/>चिकित्सकीय उपेक्षा ।</p>  | 20             |
| 3.                  | <p><b>Summarize the one of the following English /Hindi passage –</b></p> <p>निम्नलिखित अंग्रेजी/हिन्दी अंश में से किसी एक का संक्षिप्तकरण कीजिए –</p> <p>Sitaram and Sonabai are father and mother of Ram Prakash. The marriage of Geeta daughter of Ishwaribai and Nanuram was solemnized with Ram Prakash on date 10.10.2013. Geeta was subjected to harassment and cruelty by her husband Ram Prakash and father in Law and mother in law, on the pretext that she was not well versed with household work, her parents had taught her nothing and also that she did not bring sufficient dowry with her. On 14.05.2014 at about 06 A.M. her mother in law Sonabai sprinkled kerosene oil over her body and set her ablaze by throwing matchstick. As the result entire body of Geeta was severely</p> | 20             |

burnt. Her neighbor Manoj first took her to the police station where ASI Rajesh Singh scribed her report. Thereupon a case under Section 498A and 307 read with Section 34 of the Indian Penal Code was registered.

Geeta was immediately sent to District Hospital Rampur where she was admitted for treatment. At 8:40 A.M., her dying declaration was recorded by ASI Rajesh Singh in the hospital. Thereafter at 9:10 A.M., another dying declaration was recorded by the Executive Magistrate Shri Lalji Meena. On the next day, Geeta succumbed to her injuries. Accordingly the case was converted to one of murder.

D.S.P. Shri Naveen Kumar, after conducting inquest proceedings, in presence of panch witnesses Mohan, Halke, Ashish, Ganesh and Ramkumar, Sent the dead body for postmortem. Autopsy surgeon Dr. Devendra Sahu found 3<sup>rd</sup> to 4<sup>th</sup> degree burns on her body and in his opinion, the cause of Geeta's death was shock due to burn injuries.

Investigating officer Shri Yashpal Sharma, in presence of Panch witnesses Vishnu and Wahid, inspected the spot and seized the burnt skin, hair, clothes etc along with the container of kerosene, after completing the investigation, Chargesheet was filed against the accused for the offences punishable under sections 498A, 304B and 302 read with section 34 of the I.P.C. in the Court of Judicial Magistrate First Class, Rampur who committed the case to the Court of session for trial.

**अथवा / OR**

सीताराम और सोनाबाई, रामप्रकाश के माता-पिता हैं। ईश्वरीबाई और नानूराम की पुत्री गीता का विवाह रामप्रकाश से दिनांक 10.10.2013 को संपन्न हुआ था। गीता को उसके पति, सास-ससुर द्वारा इस कारण से क्रूरता और प्रताड़ना कारित किया जाता रहा कि वह घरेलू कार्य ठीक से नहीं कर पाती है, उसके माता-पिता ने उसे कुछ सिखाया नहीं है और वह पर्याप्त दहेज अपने साथ नहीं लाई है। दिनांक 14.05.2014 को सुबह लगभग 06 बजे उसकी सास सोनाबाई

ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और माचिस की तीली जलाकर उसके ऊपर फेंक दिया जिसके परिणामस्वरूप गीता का पूरा शरीर जल गया। उसके पड़ोसी मनोज पहले उसे पुलिस स्टेशन ले गये जहाँ सहायक उपनिरीक्षक राजेश सिंह ने उसके बताए अनुसार रिपोर्ट लिखी। इस प्रकार धारा 498 क तथा धारा 307 सपटित धारा 34 भा.द.वि. की रिपोर्ट दर्ज की गयी।

गीता को तत्काल जिला अस्पताल रामपुर भेजा गया जहाँ उसे इलाज के लिये भर्ती किया गया। सुबह 08:40 बजे उसकी मृत्युकालिक कथन सहायक उपनिरीक्षक राजेश सिंह द्वारा अस्पताल में लेखबद्ध किया गया। उसके पश्चात् 09:10 बजे दूसरा मृत्युकालिक कथन कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्री लालजी मीना द्वारा लेखबद्ध किया गया दूसरे दिन गीता अपनी चोटों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई। तत्पश्चात् प्रकरण हत्या के रूप में परिवर्तित हुआ।

डी.एस.पी. श्री नवीन कुमार द्वारा शव पंचनामा, पंच साक्षी मोहन, हल्के, आशीष, गनेश और रामकुमार के समक्ष तैयार कर शव परीक्षण के लिए भेजा गया। शव परीक्षण करने वाले डाक्टर देवेन्द्र साहू के मत के अनुसार मृतिका के शरीर पर तीसरे से चौथे डिग्री तक जलना पाया गया और गीता की मृत्यु का कारण जलने से आई क्षति के परिणामस्वरूप आघात था।

विवेचना अधिकारी श्री यशपाल शर्मा ने पंच साक्षी विष्णु और वाहिद की उपस्थिति में मौके का निरीक्षण किया और मौके से जले हुए त्वचा, बाल, कपड़ों के अतिरिक्त एक कन्टेनर में मिट्टी का तेल जब्त किया और विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामपुर के समक्ष धारा 498क, 304ख व धारा 302 सपटित धारा 34 भा.द.वि. के अन्तर्गत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जिन्होंने प्रकरण विचारण के लिए सत्र न्यायालय को उपार्पित किया।

#### 4. Translate the following 15 Sentences into English :-

निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :-

15

- (1) एक ही व्यक्ति दावेदार तथा उल्लंघन करने वाले वाहन का स्वामी दोनों नहीं हो सकता है।
- (2) यदि अभिलेख पर प्रत्यक्ष त्रुटि है तो राजस्व प्राधिकारी भी उनके आदेश का पुनर्विलोकन कर सकते हैं।
- (3) तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमको इतनी अच्छी पत्नी मिली।
- (4) कुछ समय के लिये पौराणिक विषय हिन्दी सिनेमा पर हावी रहे।

- (5) जब दो दृष्टिकोण सम्भव हैं तब अभियुक्त की ओर झुकाव वाला दृष्टिकोण लेना चाहिए।
- (6) मजिस्ट्रेट किसी भी स्तर पर नवीन अन्वेषण या पुनः अन्वेषण हेतु आदेशित नहीं कर सकता है।
- (7) एक्स-रे विशेषज्ञ की साक्ष्य के अभाव में क्षतिग्रस्त को हुई क्षति की प्रकृति निर्धारित नहीं की जा सकती।
- (8) न्यायिकेतर संस्वीकृति, कमजोर प्रकृति की साक्ष्य होती है, संपुष्टि के बिना स्वीकार नहीं की जा सकती।
- (9) अभियुक्त ने परिवादी द्वारा प्रेषित मांग का सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद भी चेक की राशि का भुगतान नहीं किया।
- (10) तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में आरोपी को दोषी होना पाया गया।
- (11) पुलिस इमारत के बाहर चोरों का इंतजार कर रही थी लेकिन चोर पहले ही जा चुके थे।
- (12) शारीरिक यातना की तुलना में मानसिक क्षति अधिक जटिल होती है।
- (13) हम अपना विवाद निपटाने के लिए किसी निष्पक्ष व्यक्ति को कहें।
- (14) याची को नियुक्त करने से इन्कार करना असंवैधानिक और अवैध था।
- (15) अभियुक्त ने यह तर्क किया कि उसके विरुद्ध यह असत्य प्रकरण प्रस्तुत किया गया है इसलिए निरस्त किया जाए।

**5. Translate the following 15 Sentences into Hindi :-**  
निम्नलिखित 15 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :-

15

- (1) The landlord would have enough space for his proposed business if the partition is removed
- (2) Magistrate may require from the respondent to execute a bond, with or without sureties.
- (3) Court has discretion to proceed jointly or separately against accused persons.
- (4) He has not left me in a position to show my face to the society.

- (5) The defendant's statement is that he was present in the Registry Office with documents of his ownership.
- (6) The plaintiff was always ready and willing to perform his part of contract.
- (7) Defendant argued that there was no condition of measuring the land before execution of sale deed.
- (8) The defendant admittedly agreed to sell the disputed plot for a total consideration of Rs. 25,000/-.
- (9) In the result, the suit of the plaintiff is hereby dismissed with costs.
- (10) Talking about the problems is one thing and solving them is another thing.
- (11) Time passed and the relations continued.
- (12) The case of plaintiff is not found to be proved on the basis of the principle of preponderance.
- (13) Nothing is an offense which is done in the exercise of the private defense.
- (14) He has not executed registered sale deed in his favour after paying the amount.
- (15) The defendant did not comply with his part of the contract.

\*\*\*\*\*